"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 2 फरवरी 2016— माघ 13, शक 1937

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-21/2011/18.— छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 की उप-धारा (2) सहपठित धारा 86 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य नगरपालिका (इंजीनियरिंग) सेवा भर्ती नियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में, -

अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक (1) के कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग (सिविल/मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल) में उपाधि."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 4-21/2011/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-21/2011/18, दिनांक 27-01-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 27th January 2016

NOTIFICATION

No. F 4-21/2011/18. — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 355 read with Section 86 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh State Municipal (Engineering) Service Recruitment Rules, 2014, namely :-

AMENDMENT

In the Schedule of the said rules, -

For entry in column (5) of serial number (1) of Schedule-III, the following shall be substituted, namely :-

"A degree in Engineering (Civil/Mechanical/Electrical) from any recognized University."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.